

FORM NO. III

(2021/ 65)

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर मुकाम करौली
मौहम्मद उमर पुत्र हसमुद्दीन जाति मुसलमान निवासी बजीरपुर गेट बाहर, करौली तहसील व जिला
करौली (राज0) - अपीलाण्ट

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, हिण्डौन - रेस्पोंडेण्ट

मु.नं. 33/2021 किस्म मुकदमा-अपील सूचना का अधिकार अधि. 2005 ता.रजु 26.04.2021

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
26.04. 2021	<p>अपीलाण्ट द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, हिण्डौन को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) तहत दिनांक 02.03.2021 को आवेदन प्रेषित कर वर्ष 1990 की अनुज्ञप्ति व आवेदन पत्रावली की नकल चाही गई थी। प्रत्यर्थी द्वारा आवेदक को सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने/उपलब्ध करवाई गई सूचना से असंतुष्ट होने के कारण यह प्रथम अपील पेश की है।</p> <p>अपीलाण्ट की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अपील का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी को लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, हिण्डौन द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण यह अपील पेश की है। लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, हिण्डौन के प्रथम अपीलीय अधिकारी जिला कलक्टर नहीं है। साथ ही अपीलार्थी द्वारा प्रेषित प्रथम अपील दो प्रतियों में नहीं है। अतः अपील अस्वीकार की जाती है। अपीलार्थी संबंधित विभाग के प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में अपील पेश कर सकता है। निर्णय की प्रति अपीलाण्ट को भिजवाई जावे। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p>	

प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर,
करौली